रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 417] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 1, 1993/अग्रहायण 10, 1915
No. 417] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 1, 1993/AGRAHAYANA 10, 1915

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 1990

सा.का.नि. 724 (अ) —भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 35 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कांडला पोर्ट पोतचालन कार्य (शुल्क) आदेश, 1992 का अधिक्रमण करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा कांडला पोर्ट में पोतचालन कार्य संबंधी शुल्क की वसूली तथा अन्य सेवाओं को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित आदेश बनाती है —

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—(1) यह आदेश कांडला पोर्ट पोतचालन कार्य (शुल्क) आदेश, 1993 कहा जाएगा।

(2) यह तुरन्त ही लागू होगा।

2. पोतचालन कार्य संबंधी शुल्क :—कांडला पोर्ट में पोतचालन कार्य संबंधी शुल्क वैसा होगा जैसाकि निम्नलिखित अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है :—

पोतचालन कार्य संबंधी अनुसूची

सं.	जलयान का आकार	प्रति जीआरटी या उसके भाग से संबंधित पोतचालन कार्य शुल्क			
		कांडला पोर्ट		अपतट तेल टर्मिनल, वाडीनार	
		भारतीय रु.	अमेरिकन सेंट	भारतीय रु.	अमेरिकन सेंट
1.	3,000 जीआरटी तक	6.50	31 रु. 6500/यूएस डालर 309.40 प्रति जलयान के न्यूनतम प्रभार के अधीन रहते हुए	4.00	19 रु० 4000/- यूएस डालर 190.40 प्रति जलयान के न्यूनतम प्रभार के अधीन रहते हुए
2.	3001 से 10000 जीआरटी	6.50	31	5.40	26
3.	10001 से 15000 जीआरटी	6.25	30 रु. 65000/- यूएस डालर 3100 प्रति जलयान के न्यूनतम प्रभार के अधीन रहते हुए	4.80	23 रु. 54000/- यूएस डालर 2600 प्रति जलयान के न्यूनतम-प्रभार के अधीन रहते हुए।
4.	15001 से 30000	6.25	30	4.80	23
5.	30001 से 60000 जीआरटी	4.60	22 रु. 187500/- यूएस डालर 9000.40 प्रति जलयान के न्यूनतम प्रभार के अधीन रहते हुए	4.60	22 रु. 144000/- यूएस डालर 6900 प्रति जलयान के न्यूनतम प्रभार के अधीन रहते हुए
6.	60001 से 100000 जीआरटी	4.60	22	4.60	22
7.	100001 जीआरटी तथा अधिक	4.60	22	4.60	22

टिप्पणी :—(1) जलयान के पोतचालन कार्य संबंधी शुल्क का निर्धारण उसके उन कुल जीआरटी (सकल पंजीकृत टनभार) दरो पर किया जाएगा जो उस जलयान के जीआरटी के अनुसार उक्त जलयान समूहों के केवल एक के मद्दे दर्शाई गई है।

(2) तटीय जलयानों के बचत में उक्त दरों में 30% की छूट दी जाएगी।

(3) पोतचालन कार्य शुल्क मे पाइलट के अन्तर्गामी और बहिर्गामी कार्य और अन्तरण प्रचालन, यदि बन्दरगाह सीमा के भीतर कोई हों तो, के लिए की गई सेवाओं तथा उसी के लिए कर्षनौका की परिचर्या तथा नौबन्ध लांच की सेवाएं भी शामिल हैं। इस प्रयोजनार्थ कंडला में बन्दरगाह सीमा के अन्दर अन्तरण से कांडला क्रीक के अन्दर प्रवेश सरणी (कंडला बार) तक अन्तरण अभिप्रेत है। प्रवेश सरणी से बाहर अथवा प्रतिलोमतः किसी जलयान के अन्तरण को अतिरिक्त पोतचालन कार्यकलाप माना जाएगा जिसके लिए प्रवेश सरणी से बाहर अथवा प्रतिलोमतः ऐसे प्रत्येक अन्तरण क्रियाकलाप के लिए ऊपर निर्धारित पोतचालन शुल्क के 50% के समान प्रभार वसूला जाएगा।

3. पोतचालन माग का प्रस्तुतीकरण :—(i) जब अन्तर्गामी पोतचालन कार्य अथवा बहिर्गामी पोतचालन कार्य अथवा यंत्र संचालित जलयान के अंतरण के लिए किसी पाइलट की सेवाएं मांगी जाती है तो उस जलयान पर पाइलट की उपस्थिति अपेक्षित होने के समय से कम से कम 12 घंटे पूर्व नोटिस दी जानी चाहिए। तथापि ऊपर निर्धारित नोटिस समय से कम समय में मांग प्रस्तुत की जाती है तो उसे हार्बर मास्टर द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है और ऐसा पाइलट की उपलब्धता के अधीन रहते हुए और अन्य आवश्यकताओं के अधीन रहते हुए हार्बर मास्टर के स्वविवेक पर किया जाएगा।

(ii) जब कभी हार्बर मास्टर का समाधान हो जाएगा कि आने वाले जहाजों के लिए घाट की अनुपलब्धता के कारण अथवा ज्वार-भाटा के समय और तत्समान कारण से उस समय और माग के अनुसार पाइलट की तैनाती नहीं की जा सकती तो पाइलट के जलयान पर चढ़ने का समय और तारीख हार्बर मास्टर द्वारा निश्चित की जाएगी।

(iii) तथापि, किसी ऐसे आपातकाल जो जलयान के मास्टर के नियंत्रण से बाहर हो जैसे कि जहाज पर आग लगने, लंगर मे बाधा आ जाने और उसी के समान आपातकाल मे जलयान को अंतरित करने/सेवा करने हेतु पाइलट की आवश्यकता होती है तो किसी माग पत्र की आवश्यकता नही है।

4. पोतचालन मांग पत्र का रद्दकरण और पाइलटों का अनुपयोग :—(i) जब कभी किसी यांत्रिक संचालित जलयान के अन्तर्गामी पोतचालन हेतु पाइलट की सेवाएं मागी जाती है और अगर उस जलयान के रवाना होने से पूर्व तीन घंटे से कम समय का नोटिस देते हुए वह माग रद्द कर दी जाती है तो रु. 4000/- यूएस डालर 190.40 का रद्दकरण शुल्क वसूला जाएगा। उसी प्रकार यांत्रिक संचालित जलयान के बहिर्गामी पोतचालन के लिए पाइलट की सेवाएं मागी जाती है और अगर घाट/जेटी के संपार्श्व में जलयानो पर पाइलट के चढ़ने हेतु निर्धारित समय अथवा नौबन्ध अथवा सारणी में स्थित जलयान पर पाइलट के चढ़ने हेतु जलयान रवाना होने से पूर्व 3 घंटे से कम समय का नोटिस देते हुए ऐसी मांग रद्द कर दी जाती है तो रु. 4000/- यूएस डालर 190.40 का रद्दकरण शुल्क वसूला जाएगा।

(ii) जब कभी माग के अनुसार कोई पाइलट आने वाले जहाज का पाइलट कार्य करने हेतु पाइलट स्टेशन जाता है और ऐसे कारणवश जो जलयान मास्टर के नियंत्रण से बाहर हो अथवा नौवहन आकस्मिकता, भूग्रस्त हो जाने अथवा जलयान पर आग लग जाने की वजह से अगर जलयान के नही आने से अथवा देर से आने के कारण पाइलट को लौट जाना पड़े तो रु. 6600/- यूएस डालर 314.16 का शुल्क वसूला जाएगा। उसी प्रकार अगर कोई पाइलट माग के अनुसार बहिर्गामी जलयान पर चढ़ता है और अगर वह जलयान मौसम की खराबी, लंगर श्रृंखला के उलझ जाने अथवा अन्य ऐसी परिस्थितियों जो जलयान के मास्टर के नियंत्रण से बाहर हो, के कारण प्रस्थान नही कर पाता तो रु. 6600/- यूएस डालर 314.16 शुल्क की वसूली की जाएगी।

(iii) जब कभी मांगपत्र के अनुसार किसी आने वाले जलयान पर चढ़ने के लिए कोई पाइलट, पाइलट स्टेशन पर जाता है और अगर पाइलट को उपरोक्त कारणो के अलावा अन्य किसी वजह से लौटना पड़ता है तो रु. 13,200/- यूएस डालर 628.32 शुल्क की वसूली होगी। उसी प्रकार जब कोई पाइलट मांगपत्र के अनुसार किसी बाहर जाने वाले जलयान पर चढ़ता है अथवा तब पाइलट किसी ऐसे जलयान के लिए जो नौबन्ध अथवा सारणी में हो और जिसे पाइलट किया जाना है उसके लिए जलयान द्वारा पाइलट जाता है और अगर वह जलयान लंगर खोल दिए जाने के बाद यात्रा करने मे असमर्थ हो अथवा अगर माग के पश्चातवर्ती रद्दकरण के कारण अथवा उपरोक्त कारणो के अलावा अन्य किसी वजहों से पाइलट को लौटना पड़ता है तो रू. 9,250/- यूएस डालर 440.30 शुल्क वसूला जाएगा।

(iv) बाहरी तूणा बोया/पाइलट स्टेशन पर स्थित जलयान को पाइलट द्वारा दी गई सेवाओं के लिए रु. 6600/- यूएस डालर 314.16 तक की राशि का शुल्क वसूला जाएगा।

(v) जब कभी किसी पाइलट को मास्टर अथवा अभिकर्ता के अनुरोध पर अथवा हार्बर मास्टर के स्वविवेक पर जलयान को बन्दरगाह मे लाने अथवा बाहर ले जाने के पाइलट कार्य अथवा जलयान को घाट पर लगाने अथवा घाट मे हटाने अथवा अन्तरित करने के अलावा अन्य कोई कार्य करना पड़े तो उनके लिए रु. 660/- यूएस डालर 31.42 प्रति घंटा अथवा उसका कोई भाग वसूला जाएगा।

(vi) जलयान पर पाइलट के चढ़ने हेतु निर्धारित समय से पूर्व अथवा पाइलट की तैनाती स्वीकृत करने के पश्चात यदि जलयान के अन्तरण हेतु तैयार नही होने पर यदि 3 घंटे से कम समय की नोटिस देते हुए ऐसी माग रद्द कर दी जाती है तो रु. 9250/- यूएस डालर 440.30 के समतुल्य अतिरिक्त शुल्क प्रभारित किया जाएगा।

5. जलयान पर पाइलट का रोकने तथा कर्ष नौका को रोकने से संबंधित शुल्क :—(1) यदि जलयान पर चढ़ने से पूर्व पाइलट को पोर्ट की लांच में आधे घंटे से अधिक समय के लिए रोका जाता है तो पाइलट के लिए रु. 1060/ यूएस डालर 50.46 रुकाई शुल्क प्रति घंटा अथवा उसके किसी भाग के लिए अतिरिक्त प्रभारित किया जाएगा।

(2) मौसम की खराबी, कर्मीदल का पलायन अथवा अन्य ऐसे कारण जो मास्टर के नियंत्रण से बाहर हों, उनके अलावा अन्य किसी कारण से अन्दर अथवा बाहर लाए जाने वाले अथवा अन्तरित किए जाने वाले जलयान पर अगर पाइलट को आधे घंटे से अधिक समय के लिए रोका जाता है तो पाइलट के लिए रु. 1060/- यूएस डालर 50.46 इकाई शुल्क और कर्ष नौका के लिए 2250/- यूएस डालर 107.10 इकाई शुल्क प्रति घंटा अथवा उसके किसी भाग के लिए प्रभारित होगा।

6. पाइलट कार्य शुल्क की वसूली से छूट :—(i) 300 जीआरटी और कम जलयानों के मामले में पोतचालन कार्य अनिवार्य नहीं होगा। तथापि ऐसे जलयान अगर इच्छा हो तो पोतचालन कार्य शुल्क की अनुसूची मे यथा विनिर्दिष्ट शुल्क की अदायगी पर पाइलट मांग सकता है।

(ii) कंडला बन्दरगाह जलयान संबंधी नियम 1955 के अधीन अनुज्ञप्त जलयानों के लिए प्रारंभिक आगमन तथा अन्तिम बाहरी रवानगी के समय के सिवाय पोतचालन कार्य अनिवार्य नहीं है।

(iii) उक्त (1) की टिप्पणी के सिवाय पाइलट के बिना पोर्ट में आने वाले अथवा जोड़ने वाले सभी जलयानों को भारतीय पत्तन अधिनियम 1908 (1908 का 15) के अधीन उपबंधित सभी शास्तियों के अतिरिक्त अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट पोतचालन कार्य शुल्क की अदायगी करनी होगी।

(iv) इस भाग में विनिर्दिष्ट दरें वे हैं जो पाइलट स्टेशन (बाहरी तूणा बोया) से समुद्राभिमुख 34.22 किलो मीटर (दो मील) तक के लिए पोतचालन कार्य शुल्क है।

तथापि अगर पाइलट स्टेशन (बाहरी) तूणा बोया से समुद्राभिमुख 3.22 किलो मीटर (दो मील) से अधिक देरी तक जाने के लिए जलयान का पाइलट कार्य करने हेतु पाइलट अपेक्षित है तो इस भाग में यथा विनिर्दिष्ट दरों का दुगुना पोतचालन कार्य शुल्क वसूला जाएगा। पाइलट स्टेशन (बाहरी तूणा बोया) से समुद्राभिमुख अधिकतम 9.66 किलो मीटर (6 मील) तक ही पाइलट का जहाज पर रहना प्रतिबंधित होगा।

(v) जलयानों के मापन और सर्वेक्षण हेतु निम्नलिखित शुल्क वसूला जाएगा :

	जलयान	इकाई	वसूली योग्य शुल्क	
			भारतीय रु.	यू एस डालर
1.	1000 टन से कम	जलयान के लिए	400.00	19.04
2.	1000 टन तथा अधिक	जलयान के प्रत्येक 100 टनों के लिए	80.00	3.81

7. जब पाइलट की ऐसे जलयान की सेवा के लिए जरूरत हो जो भूग्रस्त, अपसरण आदि हो रहे हों तो रु. 660/- यूएस डालर 31.42 प्रति घंटा या उसके भाग, की परिचर्या शुल्क वसूल किया जाएगा। ऐसे जलयानों की परिचर्या/अनुकर्षण हेतु अथवा अन्य जलयानों के लिए किन्हीं अन्य कारणों से कर्षनौका की मांगी गई सेवाओं के लिए दरों के मान में "पोर्ट प्लावी जलयान/प्लावी शुष्क गोदी को भाड़े पर लेने से संबंधित प्रभारों की अनुसूची" में निर्धारित दरों पर कर्ष नौका भाड़ा प्रभार वसूला जाएगा

पाद टिप्पणी : —(i) निम्न मामले में कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं वसूला जाएगा :—

(क) विशेष परिस्थितियों में किसी नौवहन परिचालन में दो पाइलटों की तैनाती की गई हो।

(ख) उत्कट तथा विशेष स्थिति/परिस्थितियों में किसी जहाज को घाट पर लगाने हेतु यदि दो कर्ष नौकाएं अपेक्षित हों।

(ii) बिल की कुल राशि को अगले रुपये दस तक पूर्णांकित किया जाएगा।

व्याख्या : —यूएस डॉलरों के रूप में दर्शाए गए प्रभारी की वसूली जलयान के आने की तारीख को आर.बी.आई. द्वारा अधिसूचित दरो पर विदेशी के साथ-साथ भारतीय नौवहन लाइनों/अभिकर्ताओं से समतुल्य भारतीय रुपये मे की जाएगी। तथापि. यथा निर्धारित भारतीय रुपयों के रूप में तटीय नौवहन संबंधी प्रभार वसूला जाएगा।

[फा.स. पीआर-14012/9/93-पी.जी.]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st December, 1993

G S.R. 724(E) – In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 35 of Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908) and in supersession of the Kandla Port Pilotage (fees) Order, 1992, the Central Government hereby makes the following order for regulating the levy of fees of pilotage and other services in the Port of Kandla.

1. Short title and commencement:—(1) This order may be called the Kandla Port Pilotage (Fees) Order, 1993

(2) It shall come into force at once.

2. Fees for Pilotages —Fees for pilotage in the port of Kandla shall be as specified in the following schedule:

SCHEDULE OF PILOTAGE FEES

No. Size of Vessels	Pilotage fees per GRT or part thereof in respect of			
	Kandla Port		O.O.T. Vadinar	
	Indian Rs	US Cents	Indian Rs.	US Cents
1. Upto 3000 GRT	6.50	31 Subject to minimum charges of Rs. 6500/- US $309.40 per vsl	4.00	19 Subject to minimum charges of Rs. 4000/- US $190.40 per vsl.
2. 3001 to 10000 GRT	6.50	31	5.40	26
3. 10001 to 15000 GRT	6.25	30 Subject to minimum charges of Rs. 65000/- US $3100 per vsl.	4.80	23 Subject to minimum charges of Rs. 54000/- US $2600 per vsl
4. 15001 to 30000 GRT	6.25	30	4.80	23
5. 30001 to 60000 GRT	4.60	22 Subject to minimum charges of Rs 187500/- US $9000.40 per vsl	4.60	22 subject to minimum charges of Rs. 144000/- US $6900 per vsl
6 60001 to 100000 GRT	4.60	22	4.60	22
7. 100001 GRT and above	4.60	22	4.60	22

Note —1 The pilotage fees of a vessel shall be assessed of her total GRT (gross Registered tonnage) at the rate shown against only one of the above vessel groups according to GRT of that vessel.

2. A rebate of 30% in the above rate shall be granted in respect of coastal vessels.

3. Pilotage fees include services of a pilot for inward and outward pilotage, shifting operations, if any, withi the harbour limits and the attendance of the tug for the same and services of mooring launch. For this purpose shifting within the Harbour limits at Kandla would mean shifting within Kandla Creek upto entrance channel (Kandla bar). Shifting at any vessel beyond entrance channel of vice versa shall be treated as additional pilotage act for which charges equal to 50% of pilotage fees prescribed above shall be levied for each such act of shifting beyond the entrance channel vice versa.

3 Submission of Pilotage requisition :—(i) When the services of a pilot are requisitioned for inward pilotage or outward pilotage or for shifting of a mechanically propelled vessel a notice of not less than 12 hours before the time the pilot is required to board the vessel shall be given. Requisition submitted with less than the above prescribed notice period, may however be accepted by the Harbour Master subject to availability of pilots and subject to other exigencies, at the discretion of the Harbour Master.

(ii) Where the Habour Master is satisfied that the pilot cannot be posted at the time and on the mentioned in the requisition, due to non-availability of berth for the incoming ships or due to tide timings and the like the time and date for boarding the vessel by the pilot shall be fixed by the Harbour Master.

(iii) No requisition will however, be required if a pilot is required to shift/attend a vessel in an emergency beyond the control of a master of the vessel, such as fire on board, dragging of anchor, and the like.

4. Cancellation of Pilotage Requisition and non utilisation of pilots:—(i) When the services of a pilot are requisitioned for the inward pilotage of a mechanically propelled vessel and if such requisition is cancelled by giving notice of less than three hours before the craft leaves, a cancellation fee of Rs 4000/- US $190.40 shall be levied. Similarly, when the services of a pilot are requisitioned for the outward pilotage of a mechanically propelled vessel and if such requisition is cancelled by giving notice of less than 3 hours before the time fixed for the Pilot to board the vessel along side the berth/jetty, or before the craft leaves for the pilot to board the vessel at mooring or in steam, a cancellation fee of Rs. 4000/- US $190.40 shall be levied.

(ii) Where a pilot goes to the pilot station to pilot an incoming vessel in accordance with the requisition and if the pilot has to return due to non-arrival or late arrival of the vessel or on account of any shipping casualty, grounding or fire on board the vessel a fee of Rs. 6600/- US $ 314.16 shall be levied. Similarly, where a pilot boards an outgoing vessel in accordance with the requisition and if the vessel is unable to said due to stresses of whether or fouling of anchor chain or other circumstances beyond the control of the master, a fee of Rs. 6600/- US $ 314.16 shall be levied.

(iii) Where a pilot goes pilot station to pilot an incoming vessel in accordance with the requisition and if the pilot has to return owing to reasons other than those mentioned above, a fee of Rs. 13,200/- US $ 628.32 shall be levied. Similarly, where a pilot boards an outcoming vessel in accordance with the requisition or where the pilot leaves in the craft for the vessll in mooring or steam, which is to be piloted and if the vessel is unable to sail after unberthing of the vessel, or if the pilot has to return due to subsequent cacellation of requisition, or due to any reason other than those mentioned above, a fee of Rs. 9.250/- US $ 440.30 shall be levied.

(iv) Fees amounting to Rs. 6600/-US $314.16 sall be levied for services rendered by a pilot to vessel at Outer Tuna Buoy/Pilot Station.

(v) When a pilot is required to attend a ship at the request of the master or the Agent or at the discretion of the Harbour Master for work other than Piloting the ship in or out of the Harbour or other than berthing or unberthing or shifting of the vessel an attendace fee of Rs. 660/- US $31.42 per hour or part thereof shall be levied.

(vi) A fee equivalent to Rs. 9250/- US $440.30 shall be charged extra if such requisition is cancelled by giving notice of less than 3 hours before the time fixed for the pilot to board the vessel or if vessel is not ready for sifting, after accepting pilot posting.

5. Fees for Detention of Pilot on Board the Vessel and for Detention of Tug.—(i) A detention fee of Rs. 1060/- US $50.46 for pilot per hour of part thereof shall be charged the of extra, if a pilot is detained in Port's launch for more than half an hour before boarding a vessel.

(ii) Detention fees of Rs. 1060/- US $50.46 for pilot and detention fee of Rs. 2250/- US $107.10 for Tug per hour or part thereof shall be charged, if the pilot is detained on Board the vessel to be piloted in or out or shifted for more than half an hour owing to any reasons except for reasons of stress of weather, discretion of crew or such other reasons beyond the control of the Master.

6. Exemption from levy of Pilotage Fees. —(i) Pilotage will not be compulsory in case of vessels of 300 GRT and under. Such Vessels may, however, ask for pilot if they so desire on payent of fees as specified in the Schedule of pilotage fees.

(ii) Pilotage will not be compulsory for the vessels licenced under the Kandla Harbour Craft Rules, 1955 except at the time of initial entry and final departure outward.

(iii) All vessels except those in note (i) above, entering or leaving the port without pilot will in addition to all penalties provided under the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908) be liable to pay ment of pilotage fees as specified in the schedule.

(iv) The rates specified in this part are pilotage fees from upto 3.22 kilometers (two miles) seaward of the pilot station (Outer Tuna Buoy)

If however, a pilot is required to proceed more than 3.22 kilometers (two miles) seaward from the pilot station (Outer Tuna Buoy) to pilot a vessel, pilotage fees at double the rates as specified in this part shall be levied. Boarding of pilot shall be restricted to maximum of 9.66 kilometer (6 miles) seaward from pilot station (Outer Tuna Buoy)

(v) The following fees for measuring and surveying vessels shall be levied :—

Vessels	Unit	Fee leviable Indian Rs.	US $
1. Under 1000 tons	for vessel	400.00	19.04
2. 1000 tons and above	for every 100 tons of vessel	80.00	3.81

7. When the pilot is required to attend the vessels which are grounding, drifting etc., attendance fee of Rs. 660/- US $31.42 per hour or part thereof shall be levied. For the services of tug requisitioned to attend/tow such vessels, or other vessels for any other reasons, the tug hire charges at the rate prescribed in the Scheduled of charges for hire of Port floating craft/floating dry dock in the scale of rates shall be leviable.

Foot Note. (i) No additional charges shall be levied in case :—

(a) Two pilots are posted on any shipping operation under special circumstances.

(b) If two tugs are required for berthing of any ship under extreme and special condition/circumstances.

(ii) The aggregate amount of bill shall be rounded off to the nearest rupees ten.

Explanation —The charges prescribed in terms of US Dollars would be collected in equivalent Indian Rupees from foreign as well Indian Snipping lines/agents, at the rates notified by RBI on the date of arrival of the vessel. However, charges for coastal shipping will be collected in terms of Indian Rupees as prescribed.

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 1993